छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय रायपुर

क्रमांक /वि.स./स्था /2018 रायपुर, दिनांक /2018

// कार्यालय-आदेश//

अवकाश नियमों के अंतर्गत सचिवालय में पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों के अर्जित अवकाश/भैषजिक अवकाश/आकस्मिक अवकाश एवं ऐच्छिक अवकाश स्वीकृत करने के संबंध में इस सचिवालय द्वारा पूर्व में जारी कार्यालय-आदेश को अधिष्ठित करते हुए अवकाश नियमों के अन्तर्गत अवकाश स्वीकृत करने हेतु निम्नानुसार अधिकारियों को अधिकृत किया जाता है ।

सचिवालय में पदस्थ तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के आकस्मिक अवकाश एवं ऐच्छिक अवकाश की स्वीकृति अनुभाग अधिकारी /शाखा प्रभारी, प्रथम श्रेणी अधिकारी की अनुशंसा पर संबंधित शाखाओं के उप सचिव/अपर सचिव कर सकेंगे तथा अर्जित एवं भैषजिक अवकाश संबंधित शाखाओं के प्रभारी वरिष्ठतम अधिकारी की अनुशंसा पर अवर सचिव (स्था.) स्वीकृत कर सकेंगे ।

सचिव के समक्ष प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी अधिकारियों के अवकाश स्वीकृति संबंधी नस्तियाँ ही प्रस्तुत की जाये ।

आदेश से,

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा

पृ. क्रमांक 164 /वि.स./स्था /2018 रायपुर, दिनांक 18-1 /2018

प्रतिलिपि

01. मान.अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा के सचिव को मान.अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ ।
02. सचिव, छ.ग विधान सभा सचिवालय के निज सचिव को सचिव महोदय के सूचनार्थ।
03. समस्त अधिकारी, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय की ओर सूचनार्थ ।
04. सर्वर कक्ष ।

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा